

25.11.2024 - पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल
वादपत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज हो
गया। मूल वाद पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी
होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

